डीजी परिपत्र संख्या 34/2017

सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकःलखनऊःसितम्बर 14 2017

विषयः- <u>भू-माफिया के चिन्हीकरण एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।</u>

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रदेश में सरकारी/निजी सम्पत्तियों (भूमि-भवनों) पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करने की शिकायतें शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्रायः प्राप्त होती रहती हैं। इन प्रकरणों में समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही न होने से जहां जन सामान्य में शासन व प्रशासन के प्रति अविश्वास पैदा होता है वहीं भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही को और अधिक गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि एक सुनियोजित रणनीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यवाही की जाये, ताकि जनमानस में भू-माफियाओं का भय समाप्त हो एवं विकास संबंधी कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकें।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पर प्राप्त सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद स्तर पर भू-माफियाओं का चिन्हांकन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। कतिपय जनपदों में छोटे-मोटे अपराधियों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित कर सूचना इस मुख्यालय को प्रेषित कर दी गयी है। ऐसे व्यक्तियों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है, जो ग्राम समाज की जमीन के छोटे टुकड़े पर रह रहे हैं या कृषि कार्य कर रहे हैं अथवा वह व्यक्ति जो किसी अन्य के भू-खण्ड पर निजी आवास बनवाकर रह रहे है। इन व्यक्तियों को भू-माफिया की श्रेणी में रखना ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

छोटे-मोटे अपराधियों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित करना कतई अनुचित व शासन की मन्शा के विपरीत है। भू-माफियों को अत्यन्त सावधानी से चिन्हित किया जाये। उदाहरण स्वरूप भू-माफिया के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाये जो :-

(i) सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लाट/आवास बनाकर या व्यवसायिक निर्माण कराकर दूसरों को बेचते है या प्रयास करते हैं।

(ii) सुनियोजित तरीके से किसी भू-खण्ड/भवन के जाली दस्तावेज तैयार कर उनकी खरीद/बिक्री का कार्य करते हैं। ऐसे मामलों में एक से अधिक प्रकरण होना आवश्यक है। यदि एक प्रकरण हो तो उसमें सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

सामान्यतया भू-माफिया से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संगठित समूह से है जो किसी निजी/सरकारी भूमि, भवन या भूखण्ड को आर्थिक एवं व्यवसायिक लाभ के लिए आपराधिक क्रियाकलापों (जालसाजी, बल प्रयोग, धमकी आदि) द्वारा बलात कब्जा करता है अथवा विधि विरूद्ध तरीके से व्यवस्था का दुरूपयोग कर अर्जित करता है।

उल्लेखनीय है कि भू-माफियाओं के चिन्हीकरण एवं उनके विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्र संख्या-402/1-2-2017-1(सामान्य)/2017, दिनांक 01.05.2017 के माध्यम से आप सभी को एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के गठन सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

अतः यह अपेक्षा है कि इस परिपत्र में अंकित परिभाषा के अनुसार भू-माफियाओं का चिन्हांकन जनपद स्तर पर गठित एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स द्वारा एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय तथा चिन्हित भू-माफियाओं के विरूद्ध कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

14/9/17

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से)
उत्तर प्रदेश।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रारूप :- भू-माफियाओं का चिन्हीकरण एवं कृत कार्यवाही का विवरण

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	जिला स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित भू-माफियाओं की संख्या	पंजीकृत अभियोगों की संख्या	पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण							अन्य कार्यवाही								वर्तमान स्थिति				
					गिरफ्तार	हा0अद0	मृत/मारे गये	कुर्की	फरार	कुल योग कार्यवाही	कार्यवाही का प्रतिशत	एन0एस0ए0	गैंगेस्टर अधिनियम	गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण		गुण्डा एक्ट	शस्त्र निरस्तीकरण	हिस्ट्रशीट खोलना	कुल योग कार्यवाही	जेल	जमानत	मृत	फरार	मौजूद
														प्रकरण	मूल्य									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25